बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र० / NBPDCL–06 / 2018 / पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– **नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 के अंतर्गत बिना चाहर दिवारी वाले पावर सब–स्टेशन में चाहर दिवारी के निर्माण हेतु पूर्व में 29.37 करोड़ (उनतीस करोड़ सैंतीस लाख) रूपये की स्वीकृत योजना की पुनरीक्षित लागत 15.72 करोड़ (पंद्रह करोड़ बहत्तर लाख) रूपये की स्वीकृति तथा इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में योजना की अवशेष राशि 10.72 करोड़ (दस करोड़ बहत्तर लाख) रूपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध मे।**

आदेश–स्वीकृत।

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के क्षेत्राधीन वैसे पावर सब–स्टेशन जहाँ पर चाहर दिवारी नहीं है। जिसके कारण परिसर में जानवरों तथा असामाजिक तत्वों के घुस जाने की आशंका तथा कार्यालय तथा आवासीय परिसर में रखे सामग्रियों के नुकसान की संभावना बनी रहती है। अतः यह मत गठित हुआ कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 के क्षेत्राधीन विद्युत शक्ति उपकेन्द्र में चाहर दिवारी का निर्माण किया जाय। जिसके लिए कुल अनुमानित लागत 29.37 करोड़ (उनतीस करोड़ सैंतीस लाख) रूपये आकलित की गई थी, जिसकी स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–906 दिनांक–19.03.2018 द्वारा प्रदान की गई थी परंतु, निविदा के क्रम में योजना में सम्मिलित सभी कार्यों के प्राक्कलनों की तकनीकि स्वीकृति प्रदान करने के उपरांत कुल 15.72 करोड़ (पंद्रह करोड़ बहत्तर लाख) रूपये की पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि होती है। इसी राशि के लिए निविदा आमंत्रित की गयी। फलस्वरूप, योजना की पुनरीक्षित लागत 15.72 करोड़ (पंद्रह करोड़ बहत्तर लाख) रूपये की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

2. उक्त आलोक में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 के अंतर्गत बिना चाहर दिवारी वाले पावर सब–स्टेशन में चाहर दिवारी के निर्माण हेतु पूर्व में 29.37 करोड़ (उनतीस करोड़ सैंतीस लाख) रूपये की स्वीकृत योजना की पुनरीक्षित लागत 15.72 करोड़ (पंद्रह करोड़ बहत्तर लाख) रूपये की स्वीकृति तथा इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में योजना की अवशेष राशि 10.72 करोड़ (दस करोड़ बहत्तर लाख) रूपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. बजट मांग सं0–10, मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0103 नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 की परियोजना,विपत्र कोड–10–4801057890103 विषय शीर्ष–54.01–निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448– स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0048– नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, व्यय शीर्ष–L8448001200048 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200048 में जमा की जाएगी।

5. नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी० एल० खाता संख्या PLA276 से की जाएगी।

6. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक–31.05.2017 के आलोक में परियोजना के स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र०/NBPDCL–06/2018 के पृष्ठ संख्या–17/टि0 पर दिनांक–01.02.2019 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/
(प्रत्यय अमृत)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र०/NBPDCL–06/2018 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र०/NBPDCL–06/2018 - 364 /पटना, दिनांक– 06-02-19

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2)

सरकार के प्रधान सचिव।